

चयन समिति, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर छ0ग0

दिनांक - 07/10/2026

:: सूचना ::

द्वितीय चरण – कौशल परीक्षा

शीघ्रलेखक ग्रेड-III (हिन्दी) परीक्षा संबंधी निर्देश

1. प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रातः 09:00 बजे तक निर्धारित परीक्षा केन्द्र पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा। परीक्षा प्रातः 10:00 बजे प्रारंभ होगी। किसी भी अभ्यर्थी को प्रातः 10:00 बजे के बाद परीक्षा केन्द्र/परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
2. प्रत्येक अभ्यर्थी अपने साथ जिला एवं सत्र न्यायालय, बिलासपुर द्वारा जारी प्रवेश-पत्र (Admit Card) अनिवार्य रूप से लेकर आयेगा। प्रवेश-पत्र पर निर्धारित स्थान पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर तथा फोटो पर भी अभ्यर्थी के हस्ताक्षर होना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी प्रवेश-पत्र पर अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो स्वयं चिपकाकर लाये। किसी अन्य व्यक्ति का चिपकाया गया फोटो अथवा बिना फोटो वाला प्रवेश-पत्र मान्य नहीं किया जाएगा।
3. प्रत्येक अभ्यर्थी को अपनी पहचान प्रमाणित करने हेतु निम्नलिखित में से कोई एक मूल एवं वैध फोटोयुक्त पहचान-पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा: (i) आधार कार्ड; (ii) मतदाता परिचय-पत्र (Voter ID); (iii) ड्राइविंग लाइसेंस; (iv) पासपोर्ट; (v) पैन कार्ड; अथवा (vi) केन्द्र अथवा राज्य शासन अथवा किसी अन्य सक्षम शासकीय प्राधिकारी द्वारा जारी वैध फोटोयुक्त पहचान-पत्र। प्रवेश-पत्र अथवा मान्य मूल फोटोयुक्त पहचान-पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
4. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी अपने साथ केवल निम्नलिखित सामग्री ला सकता है: (i) नीले अथवा काले रंग का बॉल पेन; (ii) पानी की बोतल; (iii) प्रवेश-पत्र; तथा (iv) मूल फोटोयुक्त पहचान-पत्र। उपरोक्त के अतिरिक्त किसी भी अन्य सामग्री को परीक्षा कक्ष में लाने की अनुमति नहीं होगी।
5. परीक्षा पूर्व किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। इसके पश्चात् परीक्षा की शेष अवधि में भी किसी विशेष अथवा अपरिहार्य परिस्थिति में परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति केवल केन्द्राध्यक्ष की स्वीकृति से ही दी जा सकेगी।
6. अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान किसी अन्य अभ्यर्थी से बातचीत, संकेत, सामग्री का आदान-प्रदान अथवा किसी प्रकार की अनुचित सहायता प्राप्त करने या देने का प्रयास नहीं करेगा।
7. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार की पुस्तक, नोट्स, कागज, लिखित सामग्री, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन अथवा अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक/संचार उपकरण को लेकर आना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा तथा ऐसे अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षा केन्द्र पर मूल्यवान व इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को रखने की

Handwritten signature and date
07-10-26

कोई व्यवस्था नहीं होगी, यदि कोई अभ्यर्थी इन वस्तुओं के साथ परीक्षा केन्द्र पर उपस्थित होता है तो इसकी जवाबदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षा के दौरान किसी अभ्यर्थी के पास प्रतिबंधित सामग्री अथवा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पाया जाता है अथवा वह किसी अनुचित साधन (Unfair Means) का प्रयोग करता हुआ पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध निर्धारित नियमों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी तथा उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकती है।

8. शीघ्रलेखक ग्रेड-III (हिन्दी) पद हेतु कौशल परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी। इसमें श्रुतलेख के 50 अंक तथा हिन्दी कम्प्यूटर टंकण के 50 अंक होंगे।
9. श्रुतलेख के लिए 250 शब्दों का पाठ निर्धारित है। श्रुतलेख 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 02 मिनट 30 सेकण्ड में दिया जाएगा।
10. अभ्यर्थी श्रुतलेख को निर्धारित शीघ्रलेखन पद्धति में लिखेंगे। श्रुतलेख समाप्त होने के पश्चात् उसी श्रुतलेख को निर्धारित कम्प्यूटर पर हिन्दी में टंकित करना होगा।
11. हिन्दी कम्प्यूटर टंकण के लिए 250 शब्दों का वही श्रुतलेख टंकित करना होगा तथा इसके लिए 10 मिनट का समय निर्धारित है।
12. हिन्दी कम्प्यूटर टंकण परीक्षा उबंटू (Ubuntu)/लिनक्स (Linux) ऑपरेटिंग सिस्टम पर यूनिकोड टंकण में आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थी को परीक्षा में उपलब्ध कराया गया कम्प्यूटर, निर्धारित सॉफ्टवेयर तथा निर्धारित यूनिकोड फॉन्ट का ही उपयोग करना होगा।
13. शीघ्रलेखन/टंकण में अभ्यर्थी द्वारा की गई प्रत्येक त्रुटि के लिए 0.5 अंक की कटौती की जाएगी। त्रुटि का प्रकार चाहे जो भी हो, प्रत्येक त्रुटि को एक त्रुटि मानते हुए 0.5 अंक की कटौती की जाएगी।
14. शब्द छूटना, अतिरिक्त शब्द लिखना/टंकित करना, किसी शब्द के स्थान पर अन्य शब्द लिखना/टंकित करना, अक्षर अथवा मात्रा की त्रुटि, वर्तनी की त्रुटि, विराम-चिह्न संबंधी त्रुटि तथा अन्य किसी प्रकार की टंकण संबंधी त्रुटि को एक-एक त्रुटि माना जाएगा।
15. एक ही शब्द में एक से अधिक अक्षर, मात्रा अथवा वर्तनी संबंधी त्रुटियां होने पर उस शब्द को एक ही त्रुटि माना जाएगा और उसके लिए 0.5 अंक की कटौती की जाएगी।
16. **यदि अभ्यर्थी द्वारा 150 से कम शब्द टंकित किये जाते हैं तो उसके प्राप्त अंक स्वमेव शून्य हो जाएंगे।**
17. निर्धारित 10 मिनट की अवधि समाप्त होने के पश्चात् टंकित सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन अथवा सुधार करने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई अभ्यर्थी 10 मिनट के पश्चात् टंकण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन अथवा सुधार करता है, तो उसे परीक्षा से **अयोग्य** घोषित कर दिया जाएगा।
18. शीघ्रलेखन तथा कम्प्यूटर टंकण में प्राप्त अंकों के योग पर अभ्यर्थी के कौशल परीक्षा के कुल अंक निर्धारित किए जाएंगे। कौशल परीक्षा में निर्धारित न्यूनतम मानक/शर्तों को पूरा करना आवश्यक होगा।

 07/10/26

19. परीक्षा के दौरान किसी अन्य अभ्यर्थी से सहायता लेना, अनाधिकृत सामग्री का उपयोग करना अथवा परीक्षा की गोपनीयता भंग करना निषिद्ध होगा।
20. कम्प्यूटर अथवा परीक्षा प्रणाली में किसी तकनीकी समस्या की स्थिति में अभ्यर्थी स्वयं कोई परिवर्तन न करते हुए तत्काल कक्ष में उपस्थित अधिकृत कर्मचारी को सूचित करेगा।
अभ्यर्थी को स्वयं का की-बोर्ड लाने की अनुमति नहीं होगी।
21. परीक्षा समाप्त होने पर अभ्यर्थी को वीक्षक के निर्देशानुसार अपना टंकित कार्य प्रस्तुत/सुरक्षित करना होगा।
22. परीक्षा से संबंधित किसी शंका के संबंध में चयन समिति द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।


अध्यक्ष
07.10.26
चयन समिति

जिला एवं सत्र न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)